



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21926 सन् 2026

अनीत

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

केशरी नाथ त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव यादव और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 126 सन् 2026 के अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 34(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, थाना- भगतपुर, जिला- मुरादाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि इस मुकदमा के सूचनाकर्ता को 17.06.2026 को विधिवत नोटिस तामील कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आवेदक ने न तो पीड़िता का अपहरण किया है और न ही उसके साथ बलात्कार किया है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों से आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 19.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया लेकिन वे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बता सके।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के तहत पीड़िता के बयानों को देखने से पता चलता है कि वह आवेदक से प्यार करती है। उसका कहना है कि वह बालिग है और अभिलेख में बताई गई उसकी उम्र गलत है। उसका यह भी कहना है कि वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ गई थी और उसने आवेदक से शादी की थी, और शादी के बाद ही उसने आवेदक के साथ संबंध बनाए थे।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया ज़मानत का प्रकरण बनता है।

8. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या से जुड़े अभियुक्त-आवेदक - **अनित** को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो भरोसेमंद ज़मानतदार पेश करने होंगे, साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

i. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।



iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा या उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, सिवाय उस स्थिति के जब संबंधित न्यायालय ने उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी हो।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी कॉपी के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. उपरोक्त टिप्पणियाँ केवल इस जमानत याचिका पर निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण की गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

ऐमन